

भाषा और बोली में अन्तर

डा० धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी,

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

भाषा और बोली में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन कार्य है। वस्तुतः ये केवल नाम हैं जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा और बोली व्यावहारिक रूप से अधिक सैद्धान्तिक नाम हैं। जब बोली किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है। इसीलिए भाषा और बोली का अन्तर प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का है। कब कली फूल बन जाती है, कब शैशव यौवन में परिणत हो जाता है, यह कहना कठिन है।

1. परस्पर सम्बन्धित बोलियाँ किसी एक ही भाषा से का अङ्ग होती हैं। अर्थात् भाषा अङ्गी है और बोलियाँ उसका अङ्ग। किसी भाषा की एक बोली दूसरी बोली से भिन्नता रखते हुए भी इतनी अधिक भिन्न नहीं होती कि दूसरी बोली वाले उसे समझ ही न सकें।
2. बोली को उपभाषा भी कहते हैं। गृह, ग्राम व समाज में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है।
3. भाषाओं में साहित्यसृजन का कार्य होता है, परन्तु बोलियों में साहित्यसृजन का कार्य नहीं होता है। बोलियों में पाई जाने वाले लोकगीत और लोककथाएं मौखिक रूप से कर्णपरम्परा के द्वारा समाज में प्रयोग में आती रहती हैं। वैसे यह स्थिति स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य है, अन्यथा प्रतिभा के धनी कभी-कभी बोलियों में भी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती हैं। उदाहरणार्थ मैथिली में रचे विद्यापति के पद या अवधी में रचित रामचरितमानस। ये दोनों रचनाएं बोलियों की होकर भी किसी साहित्यिक, परिनिष्ठित भाषाओं की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं।
4. भाषा में अपेक्षाकृत स्थिरता रहती है। बोलियों में परिवर्तनशीलता होती है।

5. भाषा का उपयोग समाज में साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, और प्रशासनिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में किया जाता है। बोली का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता। औपचारिक कार्यों में बोलियों का प्रयोग नहीं होता। बोली का प्रयोग अधिकांशतः दैनिक कार्यों के निमित्त होता है।
6. बोली भाषा का सबसे छोटा स्वरूप होता है और सीमित होता है। अतः एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियाँ होती हैं, किन्तु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं होतीं।
7. एक भाषा की विभिन्न बोलियों के बोलने वाले एक-दूसरे की बोली को समझ लेते हैं, किन्तु भाषा के साथ ऐसा नहीं है। आशय यह है कि एक भाषा की बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है, जबकि विभिन्न भाषाओं में नहीं। उदाहरण के लिए-अवधी, ब्रज बोली बोलने वाले प्रायः परस्पर बातें समझ लेते हैं, किन्तु यही फ्रेंच और संस्कृत के साथ सम्भव नहीं।
8. भाषा का विकास बोलियों द्वारा ही होता है।
9. भाषा का अपना समृद्ध व्याकरण होता है किन्तु बोली के साथ ऐसा नहीं होता। अगर किसी बोली में व्याकरण का विकास होता है, तो वह भविष्य में भाषा का स्वरूप ग्रहण कर सकती है।
10. भाषा की एक सुव्यवस्थित लिपि होती है किन्तु अधिकांश बोलियों के साथ ऐसा नहीं होता। जिन बोलियों में लिपि का प्रयोग होता है वह भी अपनी भाषा की लिपि से सम्बद्ध होता है।
11. भाषा का प्रसार क्षेत्र विस्तृत होता है किन्तु बोली का प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर होता है। कोस-कोस पर बोली के स्वरूप में परिवर्तन दृष्टिगत होता है, जबकि भाषा के साथ ऐसा नहीं होता।
12. भाषा का प्रयोग व्याकरण के निर्धारित नियमों के अधीन रहकर करना होता है, परन्तु बोलियों के साथ ऐसा नहीं होता।
13. भाषा और बोली दोनों आत्माभिव्यक्ति का साधन है, परन्तु बोली में आत्मीयता का पुट विद्यमान रहता है। व्यावहारिक रूप से हम जिस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, वह अधिकांश स्थितियों में बोली ही होती है।

14. पारस्परिक सम्पर्क की सुलभता और अधिकता भाषा के निर्माण में सहायक होती है और सम्पर्क की दुर्लभता और अल्पता से बोलियों का भेद बढ़ता है। इस सम्पर्क के साधक और बाधक अनेक कारण हैं। जहाँ साधक कारण हैं वहाँ भाषा का विस्तार आसानी से होता है और जहाँ बाधक कारण हैं, वहाँ स्थानीय बोलियाँ अधिक जमी रहती हैं।

वस्तुतः प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा और बोली में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। बोली अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर भाषा बन जाती है। जब बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण हो जाता है और उस बोली के बोलने या लिखने वाले इसका ठीक से अनुकरण करते हुए व्यवहार करते हैं तथा वह बोली भावाभ्यक्ति में इतनी सक्षम हो जाती है कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके तो उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। किसी बोली का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि समाजिक व्यवहार और शिक्षा व साहित्य में उसका क्या महत्व है। अनेक बोलियाँ मिलकर किसी एक भाषा को समृद्ध करती हैं। किसी बोली के भाषा के रूप में विकसित होने के पीछे बहुत सारे कारक हैं।